2024/122

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2024 (राजसमन्द डिकी)

1. भंवरसिंह पिता लालसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

1/1. श्रीमती प्यार कंवर पत्नी भंवरसिंह जी, जाति राव, निवासी जेतपुरा जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/2. कालूसिंह पिता भंवरसिंह जी, जाति राव, निवासी जेतपुरा जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/3. गजेन्द्रसिंह उर्फ गजेसिंह पिता भंवरसिंह जी, जाति राव, निवासी जेतपुरा जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/4. यशोदा कंवर उर्फ जशोदा कंवर पुत्री भंवरसिंह जी, जाति राव, निवासी जेतपुरा जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

1/5. विजयसिंह पिता भंवरसिंह जी, जाति राव, निवासी जेतपुरा जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. हिम्मतसिंह पिता उदयसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2. चन्दनसिंह पिता उदयसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (मृतक) के बजाय :–

2/1. श्रीमती वदन कंवर पत्नी स्व. चन्दनसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/2. श्रीमती नर्बदा कंवर पुत्री स्व. चन्दनसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

2/3. मांगूसिंह पिता श्रीमती वदन कंवर पत्नी स्व. चन्दनसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

3. प्रतापसिंह पिता प्रेमसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

4. कानसिंह पिता प्रेमसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

5. बहादुरसिंह पिता प्रेमसिंह जी, जाति राव, निवासी जोडलिया, तहसील आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेट, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोण्डेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम – 1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आमेट दि0
05.04.2024 प्रकरण संख्या 80/2014

---/---

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश देवपुरा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री एस. एस. पालीवाल अभिभाषक रे. सं. 1
3– श्री जी. सी. पुरोहित अभिभाषक रे.सं. 2/1 से 2/4

---::---

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक 12–08–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम आंगलगांव, तहसील आमेट में खाता संख्या 62 में आराजी नंबर 1145/153 रकबा 3.7100 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से सहखातेदारों के मध्य असमंजस की स्थिति कायम हो गयी है तथा विवाद बढ़ गया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद में वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य राजस्व रेकार्ड अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा व प्रतीप वाद पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का 1/4 हिस्सा गलत अंकित है। श्रीमती हगामीबाई की मृत्यु बाबत् भी राजस्व रेकार्ड में कोई अंकन नहीं है। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की होकर उनका कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने षड्यंत्र पूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को गुमराह कर असिस्टेन्ट कलक्टर [illegible] आमेट के प्रकरण संख्या 32/2006 निर्णय दिनांक 04–03–2009 से भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, जो विलोपित किये जाने योग्य है। अतः प्रतीप

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी नंबर 1145/153 रकबा 3.7100 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार घोषित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 3 तनकियां कायम की तथा दिनांक 05–04–2024 को तनकीवार विवेचन करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का प्रतीप वाद खारिज करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में अपील दिनांक 31–05–2024 को प्रस्तुत की गई है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्ट का प्रतीप वाद (प्रतिदावा) खारिज करने में भारी भूल की है। मौके पर कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है, रेस्पोडेन्टगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। बिना कब्जे के विभाजन नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जो विवाद था उस पर विवाद बिन्दु ही कायम नहीं किये हैं, न ही उन पर गुणावगुण पर विवेचन किया है। प्रकरण में तनकियात पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर कायम नहीं की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा प्रतीप वाद में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि विवादित भूमि पैत्रृक भूमि थी जो बिलानाम दर्ज हो जाने से दावा 32/2006 प्रस्तुत किया गया था, जो दिनांक 04–03–2009 को डिक्री किया गया। मात्र धारा 91 की कार्यवाही के आधार पर कब्जा अपीलान्टगण का नहीं माना जा सकता। दावा तीनों भाईयों के बीच डिक्री हुआ है। अपीलान्टगण का यह कथन कि दावा गलती से डिक्री हुआ है, सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है, अतः से अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested

उप-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

6. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्टगण का यह कथन कि रेस्पोडेन्टगण ने षडयंत्र पूर्वक अपीलान्टगण को गुमराह कर असिस्टेन्ट कलक्टर कुम्भलगढ़ के प्रकरण संख्या 32/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2009 से भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, लेकिन उक्त निर्णय व डिक्री की कोई अपील अपीलान्टगण द्वारा किसी भी न्यायालय में नहीं की गयी है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील संख्या 266/2009 प्रस्तुत की गयी थी, जो न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 21–06–2012 को सरकार की अपील खारिज कर दी गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2009 आज भी स्टैण्ड करता है। जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किये जाने का निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 05–04–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–08–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

12.8.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.08.28 13:44:37 IST
Reason: SelfAttested